

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 69 /2017 – सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 31st जुलाई, 2017

सा.का.नि.----- (अ), - केन्द्र सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 63/2017-सीमा शुल्क दिनांक 5 जुलाई, 2017 जोकि भारत के राजपत्र, असाधारण की सा.का.नि. सं. 836 (अ), दिनांक 5 जुलाई, 2017 के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी, को इसके द्वारा रद्द कर दिया गया है।

[फा.सं. डीजीईपी/एसईजेड/3/2016]

(धर्मवीर शर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार